16.32 hrs.

BENGAL FINANCE (SALES TAX) (DELHI AMENDMENT) BILL—*contd.*

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, इस बंगाल फाइनेंस (सेल्स् टैक्स) (दिल्ली अमेंडमेंट) बिल, १९५९ जो कि हमारे सम्मुख विचारार्थ पेश है उसमें दो, तीन बातें खटकने वाली है और उन्ही के सम्बन्ध में मैं यहां कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है । पहले यहा ५ वर्ष तक एक राज्य सरकार चलती थी और राज्य सरकार ने एक बिक्री कर विधेयक, इसी विधेयक का एक संशोधन विधेयक अपने यहां प्रस्तुत किया और उसको रक्खा । किन्तु आज उसी विधेयक में फिर सशोधन हो रहा है तो इसमें जो एक सबसे बड़ी खटकने वाली बात है वह यह है कि जो मुख्य आयुक्त हैं, चीफ कमिश्नर हैं, उनको इस विधेयक द्वारा बहुत अधिक अधिकार दिये गये हैं । यह ठीक है कि यहा पर कोई विधान सभा नही है किन्तु उस विधान सभा के स्थान पर एक सलाहकार समिति कार्य करती है जिसके कि अध्यक्ष माननीय गृह मंत्री है । मैं समझता हूं कि यदि इस विधेयक में ऐसा प्रबन्ध होता कि जब भी किसी प्रकार के बिक्री कर के सम्बन्ध में कोई भी विज्ञप्ति प्रकाशित करनी हो या गजट में निकालना हो तो उससे पूर्व वह बात सलाहकार समिति के सामने रक्खी जाती और उस पर विचार होता और जो भी निर्णय होता उसके अनुसार यह तय किया जाता । तो उचित होता किन्तु बडे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इसमें स्थान-स्थान पर चीफ कमिश्नर महोदय का जिक्र किया गया है और उन्हें कहा गया है कि वे जब चाहें जैसे चाहें और जिस तरीके से चाहें वह अपने गजट में प्रकाशित कर सकते हैं और वह बात मान्य होगी । मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस जनतंत्र के युग में होना तो यही चाहिये कि जो जनता की राय हो उसके अनुसार काम हो और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा वह काम किया जाय । अब यदि हम चीफ कमिश्नर के हाथ में यह सब चीजें छोड देंगे तो उसमें जो जनता की भावनायें है उनको एक प्रकार से ठेस पहुंचेगी । मैं मंत्री महोदय से बहुत ही विनम्र शब्दों में प्रार्थना किया चाहता हूं कि वे दिल्ली की स्थिति को देखते हुए कम से कम यह जो नौकरशाही है उसके हाथ में यह बात न दें और ऐसा करना सरकार के लिये कोई शोभा की बात नहीं होगी ।

सभापति महोदय, दिल्ली केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है । यहा पर कोई बहुत बड़े-बड़े कल कारखाने तो हैं नही । कुछ समय से यह दिल्ली व्यवसायिक केन्द्र रहा है । पहले भी जब दिल्ली देश की राजधानी नही थी और जब दिल्ली पंजाब का एक भाग था और पंजाब का एक जिला था उस समय भी यहा पर व्यापार चलता था और दिल्ली को व्यापार का केन्द्र माना जाता था । ठीक ठीक उसी प्रकार से आज भी दिल्ली व्यापार का केन्द्र है । किन्तु दूसरे स्थान से कोई यहां पर माल लाया जाये और वहां पर बिक्री कर दिया जाये और फिर यहां भी बिक्री कर दिया जाये तो उसमें कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है ।

इस विधेयक में कहा गया है कि जो पहले २ पुराने पैसे यहां पर टैक्स था उसके स्थान पर अब ४ नये पैसे हो जायेंगे । आपका ही बनाया हुआ वह कानून है जिसमें २ पुराने पैसे के स्थान पर ३ नये पैसे होते हैं और अच्छा तो यह होता कि उसको ३ नये पैसे होना चाहिये । मैं समझता हूं कि जिस तरह से ४ नये पैसे गिनने में कोई भूल नहीं कर सकता उसी तरह ३ नये पैसे गिनने में भी कोई भूल नहीं होगी है । अब वस्तमवन

पद्धति के अनुसार यदि रखना था तो ढाई नये पैसे के हिसाब से रखते और २ रुपये पर ५ नये पैसे टैक्स लगाते तो वह शायद दशमलव पद्धति के अनुसार बहुत सही होता। इस प्रकार से होता तो दिल्ली वाले आपको साधुवाद कहते और आपका अहसान मानते किन्तु बजाय इसके कि वह ३ नये पैसे होना चाहिये उसको ४ नये पैसा कर दिया जाये, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय पुनः इस पर विचार करें।

सैल्स टैक्स के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां दिल्ली में कुछ हरिजन भाई है जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग धंधे करते है जिसमें कि परिवार का मुखिया होता है, उसकी पत्नी होती है और उस के छोटे छोटे लड़के बच्चे होते है और सब परिवार वाले मिल कर यह जूता बनाने का काम करते है किन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह जो जूता बनाने वाले छोटे छोटे कारीगर है उनकी अपनी कोई फैक्टरी नहीं चलती है और जब वह कच्चा माल खरीदने के लिए बाजार में जाता है तो उसको उस पर सेल्स टैक्स देना पड़ता है चमड़े वगरह पर उसको सेल्स टैक्स देना पड़ता है और उसके बाद जब वह उस जूते को तैयार कर लेता है तब पुनः उसको सैल्स टैक्स देना पड़ता है। ऐसी अवस्था में बाजार के अन्दर जो बड़ी बड़ी फैक्टरियों के साथ से एक प्रतिस्पर्धा चली हुई है उसमें वह टिक नहीं पाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस तरीके के जो छोटे छोटे उद्योग हों, घरेलू उद्योग धंधे जिनमें कि घर में बैठ कर २,४ या पाच आदमी मिल कर काम करते है और जो ऐसे उद्योग धंधे है जिनमें कि कोई बहुत लाभ भी नही है, मैं चाहता हूं कि उन धंधों की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा जाये और तदनुसार कोई उचित निर्णय लेने की कृपा करें। अक्सर देखा गया है कि जो लोग इस तरह के छोटे छोटे उद्योग धंधे करते हैं वे पढे लिखे तो होते नहीं और वे अपना हिसाब किताब अच्छे तरीके से नहीं रख सकते हैं और जब ऐसी हालत है तो उनके लिये यह सेल्स् टैक्स के वास्ते हिसाब किताब रखना कुछ बड़ा विचित्र सा लगता है।

यहां पर कुछ ऐसे कारखाने है जो कि चमड़ा कमाने का काम करते हैं। उनके ऊपर भी सेल्स् टैक्स लगा हुआ है। अब सभापति महोदय, उसमें एक ही परिवार के दो भाई मिल कर उस काम को करते हैं और अधिक से अधिक तीन व्यक्ति काम करते हैं और उन तीन व्यक्तियों को कहीं सारे दिन कठिन परिश्रम करने के बाद मजदूरी मिल पाती है और जो कि पढ़े लिखे भी नहीं हैं और अगर वह पढ़ जाते तो वह सम्भवतः उस काम को करते भी नहीं तो ऐसे लोगों को जो कि मजदूरी का काम करते हैं और थोड़ी सी पूंजी लगा कर के काम करते हैं उनको भी इस सेल्स टैक्स के चक्कर में आना पड़ता है और ऐसी अवस्था में उनके लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैंने अक्सर यह देखा है कि वह अपना बहीखाता पढ़े लिखे लोगों के पास ले जाते है और लिखवाते हैं कि आज इतने का माल बिक्री किया आज इतने का बिक्री किया ताकि वह सेल्स टैक्स के दफ्तर में जाकर ठीक-ठीक ब्यौरा दे सकें। एक चमड़ा लगभग कोई ५० रुपये की कीमत का होता है और ये लोग रोजाना दो चमड़े तैयार करते रहें चाहे भैंस के तले के हों या गाये के तले के। दो सौ अधिक तैयार करने की उनकी क्षमता नहीं है। इस तरह वह लगभग सौ रुपये का माल तैयार करते है और इसमें उनको अधिक से अधिक ६ या ७ रुपये का लाभ होता है। आज के जमाने में यह ६ या ७ रुपये का लाभ क्या होता है। आज एक साधारण चपरासी भी ८० रुपये महीना कमाता है और इस काम में दो आदमी काम करते हैं, उसकी पत्नी भी इसमें

[श्री नवल प्रभाकर]

मदद करती है। ऐसी अवस्था में उनको केवल मजदूरी ही मिलती है फिर भी वह सेल्स टैक्स के चक्कर में आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो इस तरह के छोटे-छोटे उद्योग धन्धे हैं उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

जैसा कि मैंने बताया दिल्ली व्यवसाय का केन्द्र है, किन्तु अब धीरे-धीरे यहां पर व्यवसाय का ह्रास होता जा रहा है। पड़ोस में पंजाब है वहां बड़ी-बड़ी फैक्टरिया लगी हुई है। सोनीपत में साइकिल फैक्टरी लगी हुई है। अमृतसर में कपड़े की, सिल्क की और गरम कपड़े की फैक्टरिया लगी हुई है। पड़ोस में ही उत्तर प्रदेश है जहां आगरा और कानपुर उद्योग के क्षेत्र है। इनके बीच में दिल्ली भिड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में दिल्ली अपने व्यापार को कहा तक चला सकेगा इसमें सन्देह है। इन्ही स्थानों से माल लाये और उसकी प्रतिस्पर्धा में बेचे तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो मै मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह पुन: इस पर विचार करें और इसमें आवश्यक संशोधन करने की कृपा करें।

एक बात पर मैं पुन: जोर देना चाहता हू और वह यह है कि जो चीफ कमिश्नर को अधिक अधिकार दिये गये हैं वे नहीं होने चाहिए। एक सलाहकार कमेटी यहा पर बैठी हुई है। उसके सामने प्रत्येक मामला जाना चाहिए और जब उसका निर्णय हो जाये तो उसके बाद में चीफ कमिश्नर चाहे तो उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो मै इन शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें संशोधन किया जाये ताकि दिल्ली के लोगों को कोई लाभ हो सके।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : जनाब डेपुटी स्पीकर साहब, इस बिल का जितना भी स्वागत किया जाय थोड़ा है। मै डिप्टी फाइनन्स मिनिस्टर साहब को इसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं।

मुझे हैरानी है कि कुछ मेम्बर साहिबान ने इस बिल के कुछ प्रावीजन्स की नुक्ताचीनी की है। मैं हाउस को याद दिलाना चाहता हूं, कि दिल्ली स्टेट डैफिसिट में चले रही है। पिछले साल हिन्दुस्तान के टैक्स पैयर्स की कमाई के रुपये में से ५० लाख रुपया दिल्ली स्टेट का फाइनेन्स करने के लिए ग्रांट के तौर पर दिया गया था, और जो करेंट बजेट है उसमें भी मेरे ख्याल में उससे भी ज्यादा की ग्रांट दिल्ली स्टेट को दी गयी है। इस बिल की रु से २५ लाख रुपया मजीद इकट्ठा करने की तजवीज है जो कि कोई ऐसी बात नही है कि जिस पर किसी को हैरान होने की जरुरत हो। यहा पर सैल्स टैक्स के स्टेट् पंजाब के मुताबिक, जो कि एक पड़ोसी रियासत है, कीये जा रहे है। मिसाल के तौर पर यहा पर कुछ चीजों पर जो दो पैसे से चार नये पैसे किया गया है यह पंजाब की ही तरह है। पंजाब में भी उन चीजों पर चार नये पैसे सेल्स टैक्स लगता है।

श्री नवल प्रभाकर : पंजाब में जो सहूलियतें है वे यहां भी होनी चाहिए।

श्री मू० चं० जैन : पिछली मर्तबा जब सेल्स टैक्स ऐक्ट पास हुआ था तो दिल्ली वालों को कुछ रियायतें मिल गयी थीं जो कि बाकी के हिन्दुस्तान के डीलर्स को नहीं थी। तो दिल्ली वाले इससे बड़े खुश थे कि वह बड़े शहर में भी रहते हैं और उनको यह सहूलियत भी मिली हुई है कि जो बाकी हिन्दुस्तान वालों को टैक्स देना पड़ता है वह उनको नहीं देना पड़ता है, मैं समझता हूं कि यह हाउस इस बात की इजाजत नहीं दे

सकता कि दिल्ली को यह रियायत दी जाये और इसकी वजह से हिन्दुस्तान के बाकी टैक्स पेयर्स के साथ अन्याय हो। मैं इस तरह की रियायत के सख्त मुखालिफ हूं, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह बिल लाने की हिम्मत की।

श्री नवल प्रभाकर: हमारा इनकम टैक्स का पूरा हिस्सा भी हमको नहीं मिलता।

श्री मू० चं० जैन: जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, शायद मेरे लायक दोस्त को मालूम नहीं कि हर तीसरे चौथे या पांचवें साल एक फाइनेन्स कमीशन बैठता है और वह फैसला करता है कि जिस-जिस स्टेट से जितना इनकम टैक्स इकट्ठा होता है उस उस स्टेट को उसी हिसाब के उसका हिस्सा दिया जाये। दिल्ली से जितना इनकम टैक्स इकट्ठा होता है उस हिसाब से दिल्ली को भी हिस्सा मिलता है। इसमें कोई घाटे की गुंजाइश नहीं है।

यह जो पंजाब के मुताबिक चार नये पैसे की शरह से टैक्स रखा जा रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं इसलिए कि दिल्ली पंजाब के नजदीक है। दिल्ली पंजाब के रोहतक, करनाल, हिसार, गुड़गांवा जिलों से घिरा हुआ है, सिर्फ एक तरफ उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। ऐसी हालत में अगर दिल्ली में सेल्स टैक्स की रेट कम हो और पंजाब में ज्यादा हो तो पंजाब के कंज्यूमर दिल्ली से सामान खरीदते हैं और इससे पंजाब के डीलर्स को नुक्सान होता है और ट्रेड वहां से दिल्ली को डाइवर्ट (divert) हो जाती है। मैंने पहले भी इस चीज की मुखालिफत की थी कि दिल्ली को सेल्स टैक्स में यह रियायत न दी जाये। जो सदस्य पास होते हैं उनको ज्यादा असर पड़ता है लेकिन मैं गवर्नमेंट को दिल से बधाई देता हूं कि उसने यह बिल लाने की हिम्मत की और अपने ऊपर पास वालों का असर नहीं पड़ने दिया।

श्री नवल प्रभाकर: जितना फायदा आपको होता है उतना हमको भी दिलवाये।

श्री मू० चं० जैन: मेरे पड़ोसी दोस्त ने हालांकि वह पंजाब से आये हुए हैं, बड़ी नुक्ताचीनी की है और कहा है कि हमारी सरकार एक एफ्लूएंट सोसाइटी बना रही है जब कि हमारा असूल classless समाज बनाना है। मैं हैरान हुआ। मुझे मालूम हुआ जैसे डेविल स्क्रिप्चर को कोट कर रहा है। यह सख्त शब्द है और मुझे नहीं कहने चाहिए लेकिन क्या यह एफ्लूएंट सोसाइटी बनाना है कि जिन goods को एफ्लूएंट लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर सात परसेंट टैक्स लगाया जाये। ऐसा करके तो सरकार क्लासलैस (classless) सोसाइटी बनाने में मदद कर रही है। यह बात मेरे लायक दोस्त ने नजरअन्दाज कर दी है। जो लोग उन लग्जरी गुड्स को इस्तेमाल करते हैं वे गरीब नहीं हैं। और अगर कोई गरीब उन चीजों को इस्तेमाल कर सकता है तो वह सात पर सेंट टैक्स भी दे सकता है। घड़ियां, बिजली का सामान, जेवरात, ज्वेलरी ऐसी चीजें हैं जिसको अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। जो लोग सैकड़ों रुपये की इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनसे सात पर सेंट टैक्स लिया जाये तो किसी के आंसू क्यों आने चाहिए। मुझे हैरानी हुई कि किस तरह से शर्मा साहब देर तक एफ्लूएंट क्लास के नाम पर गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी करते रहे। यह टैक्स जरूर था। पंजाब में luxury goods पर ज्यादा टैक्स है, उत्तर प्रदेश में टैक्स है। कौन सी ऐसी स्टेट है कि जिसमें लग्जरी गुड्स पर दुगना और तिगुना टैक्स नहीं है। यह तो बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली में भी यह टैक्स

[श्री मू० चं० जैन]

लाग कर दिया जायेगा और इस चीज के लिए मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं ।

एक पाइंट और है जिसकी कि मेम्बर साहिबान ने काफी नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह तो ब्यूरोक्रेसी को बढाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को यह पावर्स नहीं दी जानी चाहिए थीं। मैं यह सुनकर हैरान हुआ। हम बारह बरस पहले जो ब्यूरोक्रेसी की बात कहते थे आज भी वही कह रहे हैं, हमने अपनी जहनियत को नहीं बदला है। आज चीफ कमिश्नर ब्यूरोक्रेसी के आदमी नहीं हैं, बल्कि वह होम मिनिस्टर का नुमायन्दा है। आज होम मिनिस्टर जो बात तै करते हैं उसके मुताबिक चीफ कमिश्नर काम करता है। मेरे दोस्त यह कह सकते है और मेरे ख्याल में डि टी मिनिस्टर साहब इस बात का खयाल रखेंगे कि जो एडवाइजरी कमेटी बनी है उसके सामने भी मामले जायें। जो फैसला होम मिनिस्टर साहब करें और जो मामला चीफ कमिश्नर के पास जाये वह किसी स्टेज में इस कमेटी के सामने भी जाये यह तो हो सकता है। लेकिन जनरल टर्म्स में चीफ कमिश्नर की नुक्ताचीनी करना और यह कहना कि न मालूम वह किस तरह से इन पावर्स का इस्तेमाल करेंगे, मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। अव्वल तो जो पावर्स दी गयी है वे ऐसी हैं कि जिनमें किसी को घबराने की बात नहीं है। यह मामला एडवाइजरी कमेटी के सामने जाय, एक्ट में यह बात नहीं आ सकती है। एग्जेक्टिव इंस्ट्रक्शन्ज के जरिये से यह हो सकता है।

इतनी बातें मैंने कहनी थीं और यह कह कर मैं डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हुआ और उनको मुबारकबाद देता हुआ इस बिल का स्वागत करता हूं। और इसकी पुरजोर हिमायत करता हूं।

Shri B. R. Bhagat: Mr. Chairman, Sir, I am very grateful to the hon. Members who have participated in this debate. But I confess that in spite of the prolonged discussions, the points that I made in favour of the Bill, particularly the relevant sections, and the important matters remained unchallenged and unanswered. The hon. Member, Shri V. P. Nayar, who very enthusiastically comes forward, was to my great regret, very disappointing today. Usually he is very stimulating and intelligent and it is a high treat to hear him. I do not know if something went wrong.

Shri V. P. Nayar: You come to the House with a prepared speech. We cannot do like that.

Shri B. R. Bhagat: I am not speaking from any written text while I am replying now. He was particularly objecting to this amendment. I say it is the most standard and patent amendment which you will find in most of the Bills, particularly with regard to taxation and others also. I do not know what has gone wrong with him that he finds it difficult to understand this.

Shri V. P. Nayar: Take away the word 'for'.

Shri B. R. Bhagat: Now, I would like to deal with some of the points that have been raised. I would submit that they are mostly out of misconceptions and I would try my level best, in my humble way to elucidate them. The first point that was made was that the while scheme of the Bill is not a single-point scheme but a multi-point scheme. The hon. Member quoted from Dr. Lokanathan Committee's recommendations and the valuable suggestions it had made while going through the sales-tax structure in Madras State and he has said that it does not find favour with the committee's basic recommendations. Some other hon. Member has said that it will be in the discretion of the Chief Commissioner to levy tax at one or more points. I

would submit that all this is not borne out by letter or the language of the clause nor by the clear declaration and indication given by the Government

The scheme is one-point. It is not contemplated to levy multi-point tax.

Shri Tangamani: Clause 6 of the amending Bill amends section 5 of the Act. If 5A remains as it is, it will be one point But 5B gives room for levying more than one point

Shri B. B Bhagat: That has been clarified while Shri Vajpayee was making a reference to it 5B is with reference to a person who is a dealer and who is not to pay a tax That is also a general provision 5A and 5B are not connected in any way But there may be some difference of opinion about the language To me it is very clear I say, Sir, whatever may be the language, it is the intention of the Government not to levy a multi-point tax The scheme of tax in Delhi is a single-point tax, and what is sought to be done by 5A in clause 6 is to leave that point flexible for the executive authority or the tax administration authority to levy the tax at any point Therefore, the point made that it would harm the traders is also a misconceived point Actually the motivation in this amendment is to help the dealers It is as a result of the demands made by certain sections in Delhi or the trading community in Delhi that this has been done For example, apart from Delhi being a distributing centre or a trading centre it is also a manufacturing place There are certain industries here like the vanaspati or the cycle manufacturing industry where if the tax is levied at the last point as it is being done today it will mean that every small dealer has to keep accounts and a large number of dealers will have to be taken care of If the tax in such cases is levied at the beginning, at the first point when it comes out of the manufacturer, from the mill to the wholesale distributor, it is very easy to levy that tax at that point, whether it is in the case of vanaspati which is being manufactured here or in the case of cycle parts or other manufactured goods. It helps a large number of small dealers who deal in these goods They need not have to collect the tax and maintain accounts Instead of these small dealers, we will be levying the tax on only one person, viz, the manufacturer or the wholesaler who may make goods from the mills By that it is easy to collect and it is easy to administer Thereby the scope of evasion is very much minimised

Therefore this scheme will benefit the traders, it will make the administration simple and it will be helpful to everybody So I say, Sir, that this good provision also has been misconceived because of certain confusion in the minds of certain hon. Members I do not deny that there is room for confusion, but I only tried to explain the provision and the motivation behind it

Another point that arose out of a misconception was that through this measure something is being done to harm the commercial importance of Delhi Nothing can be farther from the mind of the Government than this The hon Member concerned ably presented this case I agree and I concede that the fear is very well taken But I only point out that the point is very well borne in mind by the Government Last time, when the Central Sales Tax Act was enacted and it was applied to Delhi, the Home Minister had a series of consultations with the representatives of Delhi, the Advisory Committee of the Delhi Administration, and this point was conceded which very largely met with and satisfied the apprehensions of the Delhi citizens the commercial people and the representatives of Delhi Although the Central Sales Tax Act provided for a one per cent tax, in the case of Delhi, on goods imported and re-exported out of Delhi the rate was prescribed at half per cent instead of

[Shri B. R. Bhagat]

one per cent. The hon. Member wanted to have some figures about the trade in Delhi. I have tried to gather some figures. At half per cent under the Central Sales Tax Act the realisation has been Rs. 1·3 crores.

Some Hon. Members: Sir, it is five o'clock.

Mr. Chairman: I hope the hon. Minister will require some more time

Shri B. R. Bhagat: 15 minutes to 20 minutes more.

Mr. Chairman: He may continue tomorrow.

17 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock, on Friday, the 1st May, 1959/Vaisakha, 11, 1881 (Saka)